प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 15-03-2022

विषय- जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध विचाराधीन बंदी दुर्गपाल पुत्र श्री टीकाराम को एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में उपचार चलने के दृष्टिगत उपचार अवधि तक जिला कारागार, लखनऊ में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-6207/सामा-1(5)/बंदी स्था0/2022, दिनांक 28-02-2022 में की गयी संस्तुति के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध विचाराधीन बंदी दुर्गपाल पुत्र श्री टीकाराम को एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में उपचार चलने के दृष्टिगत उपचार अवधि तक जिला कारागार, लखनऊ में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा/लखनऊ ।
3- पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
4- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा।
5- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ।
6- अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा को इस निदेश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदी को जिला कारागार, मथुरा से जिला कारागार, लखनऊ में स्थानान्तरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायें।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।